

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(1)(4) आप्रसआ/सामान्य/2010/
353-68 दिनांक 15-1-11 के द्वारा राज्य के 2 जिलों के 1249 ग्रामों को
अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

राज्य सरकार के लिये गये निर्णयानुसार अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में
अल्पकालीन सहकारी ऋणों की वसूली स्थगित कर दीर्घकालीन ऋणों में परिवर्तन किया
जाना है। कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः— अधिसूचना की प्रति

15-1-11
(तन्मय कुमार)
शासन सचिव,

प्रमुख शासन सचिव,
सहकारिता विभाग,
राज०, जयपुर।

पत्रांक एफ 1(1)(4) आप्र. एवं स.आ./सामान्य/ 010/ 370
जयपुर, दिनांक 15-1-11